श्री बृजलाल वर्मा]

ट्रक डायलिंग) टेलीफोन सेवा दिन में कुछ समय के लिये उपलब्ध है। सितम्बर 1977 के अंत तक समूचे ब्रिटेन के लिये यह सेवा चौबीसो घंटे मिलने लगेगी। आशा है कि मार्च 1978 तक ऐसी सेवा संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूयार्क और वाशिंगटन नगरो के लिये भी चालू हो जायेगी।

मेरे मंत्रालय के अधीन जो दूर संचार उपस्कर का निर्माण करने वाली यूनिटें अर्थात इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड और डाक तार कारखाने हैं, उन की वर्तमान उत्पादन क्षमताओ का मैं इस दृष्टि से पुनरीक्षण कर रहा हू कि उन की उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ जाये कि वे देश की सभी आवश्यकताये पूरी कर सके। मेरा यह प्रयत्न होगा कि अगले तीन चार वर्षों में दूरसंचार के उच्च कोटि के साज सामानो के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो जाये।

जब से मैंने संचार मंत्री का कार्यभार संभाला हु, विभाग के अधिकारियो कर्मचारियो और उन के संघो के प्रतिनिधियो के साथ मेरा घनिष्ट सम्पर्क होता रहा है। उन्होने मुझे विश्वास दिलाया है कि वे अधिक कुशल, विश्वसनीय और उच्चकोटि की सेवा प्रदान करने मे अपना पूर्ण समर्थन देगे। विभाग के सभी कर्मचारियो के ऐसे बढे हुए उत्साह और उन के पूर्ण सहयोग को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य मे हम सभी तरह से बेहतर सेवा प्रदान करने मे सफल होगे।

---

12 55 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4 अगस्त, 1977 को लोक सभा मे निन्दा प्रस्ताव पर बोलते समय श्री उन्नीकृष्णन ने गृह मंत्री एव मेरे विरुद्ध व्यक्तिगत, अनर्गल एव असत्य आरोप लगाए थे उस विषय मे मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूगा।

डा० जे० पी० सिंह जो चौधरी साहब के दामाद है विलिग्डन अस्पताल मे सर्जन हैं उन्होने 24 मार्च, 1972 को श्री कटेश्वरनाथ के पेट का आपरेशन किया और उस आपरेशन के दौरान एक बैवकाक फोसेंप उनके अमाशय म रह गया जो 28 मार्च, 1972 को निकाल दिया गया। इस घटना के तुरन्त बाद 4 अप्रैल, 1972 को डा० एल० आर० पाठक जो उस समय विलिग्डन अस्पताल मे सर्जरी विभाग के प्रधान थे और डा० डी० बी० बिष्ट जो उस समय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक थे, दोनो ने इस घटना के लिए डा० जे० पी० सिह को बिल्कुल दोषी नही पाया। बाद मे इस घटना के संबध मे लिए गये बयानो के आधार पर तत्कालीन महानिदेशक ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

"Staff Nurse, Kunju Kutty, who relieved staff nurse, B Abraham, during the course of operation on Shri Kateshwar Nath at 1 35 p m. has in her statement admitted that the surgeon at the time the operation ended had asked routinely if every count was O K and that she answered "Yes".

Staff Nurse Kutty is accordingly responsible for having missed to count the number of instrument which were available with her after the operation has ended

I consider that the responsibility for the mishap is of the nurses who assisted the surgeon in the operation."

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि डा० जे० पी० सिह की इस असावधानी के लिए कोई जिम्मेदारी इन अधिकारियो ने अपनी पहली जांच मे नही रखी। पत्रावली को देखने से ज्ञात होता है कि इस मामले की जांच के दौरान डा० एस० सी० भाटिया, जूनियर मेडिकल ओफिसर, विलिग्डन अस्पताल, कुंजी

कुटी, स्टाफ नर्स, आपरेशन थियेटर, ए० अब्राहम, सिस्टर इंचार्ज, आपरेशन थियेटर, बी० अब्राहम, स्टाफ नर्स, आपरेशन थियेटर एवं डा० जे० पी० सिंह, सीनियर सर्जन, विलिंगडन हस्पताल के बयान लिए गये। चूंकि कुमारी कुंजी कुटी स्टाफ नर्स, आपरेशन थियेटर, ने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया था इस आधार पर एवं अन्य साक्ष्यो के आधार पर तत्कालीन महानिदेशक ने उन नर्सों को इस घटना के लिए जिम्मेदार पाया जो आपरेशन थियेटर मे सर्जन की मदद कर रही थी। फाइल को देखने से यह पता चलता है कि बाद मे बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य के महानिदेशक का यह मत हो गया कि डा० जे० पी० सिंह, जिन्होने आपरेशन किया था, उनकी जिम्मेदारी भी नर्सों के साथ साथ होती है। यह बात ध्यान रखने की है कि इस घटना के लगभग 4 वर्ष के बाद, आपात-स्थिति के दौरान, जबकि राजनैतिक कार्यकर्ताओ एव उनके सम्बधियो को किसी भी सच्चे या झूठे आरोप पर नुकसान पहुचाने का सिलिसला चला, तब इस मामले को भी फिर से जोर शोर से उठाया गया और डा० जे० पी० सिंह को, जिनको किसी भी अधिकारी ने घटना की तुरन्त जाच के बाद दोषी नही पाया था, 4 वर्ष बाद एकाएक आरोप पत्र दिया गया और उसके बाद उनके खिलाफ बहुत ही तेजी से कार्यवाही शरू हो गई।

डा० जे० पी० सिंह ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपो के विषय मे एक बहुत विस्तृत प्रत्यावेदन दिया और उनके प्रत्यावेदन की छानबीन के बाद उस समय भी, जबकि कर्मचारियो पर आपात-स्थिति का आतंक छाया हुआ था, कार्यालय ने अपने नोट दिनाक 14-7-76 मे डा० जे० पी० सिंह को दोषमुक्त करने का सुझाव दिया। 17-7-76 को उप सचिव ने भी यह राय दी कि इस मामले को समाप्त कर देना चाहिए। 19-7-76 को संयुक्त सचिव ने अपनी टिप्पणी मे लिखा कि यह संदिग्ध है कि डा० जे० पी० सिंह को ही इस मामले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अत: उन्होने डा० जे० पी० सिंह को केवल मौखिक चेतावनी देने के लिए सुझाव दिया। 21-7-76 को तत्कालीन सचिव ने महानिदेशक की भी राय जाननी चाही। 3-8-76 को डा० गोयल महानिदेशक से जो एक विख्यात सर्जन है सयुक्त सचिव की राय का समर्थन किया उसके दूसरे दिन, अर्थात् 4-8-76 को, तत्कालीन सचिव ने महानिदेशक एव सयुक्त सचिव की राय का समर्थन किया और यह लिखा कि चेतावनी डा० सिंह की चरित्र पंजिका मे न लगाई जाये। किन्तु इसके दूसरे दिन ही तत्कालीन स्वास्थ्य मत्री डा० कर्ण सिंह ने अपनी सभी सबधित विभागीय अधिकारियो की राय को न मानते हुए डा० जे० पी० सिंह की चरित्र पजिका मे चेतावनी लिखने का आदेश पारित कर दिया।

13.00 hrs.

डा० सिंह ने उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील जनता सरकार के बनने के पहले ही कर दी थी। इस अपील पर उप-सचिव ने यह मत व्यक्त किया कि डा० सिंह की चरित्र पंजिका मे जो चेतावनी रखी गई है, विभाग को उसे हटा देनी चाहिए। इस राय से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भी सहमत थे। इन लोगो की राय को देखते हुए और पिछले सुझावों के सदर्भ मे सचिव ने भी यह सिफारिश की कि यह चेतावनी इनकी चरित्र पंजिका मे न रखी जाये। उन्होने यह भी लिखा कि डा० जे० पी० सिंह एक कुशल अधिकारी है और जो गल्ती हुई वह उनकी नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के कारण हुई। इन उपर्युक्त कार्यालय टिप्पणी के आधार पर मैंने निम्नलिखित आदेश दिया —

"मैं सचिव की राय से सहमत हूं, चेतावनी चरित्र पजिका मे न रखी जाये"

[श्री राज नारायण]

इस समय तक मुझे पता भी नहीं था कि श्री जे० पी० सिंह चरण सिंह के रिश्तेदार हैं, न तो जे० पी० ने और न चौ० चरण सिंह जी ने मुझ से इस बारे में कुछ कहा था ।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि डा० जे० पी० सिंह के विरुद्ध राजनैतिक एवं व्यक्तिगत द्वेषयुक्त कारणों से अन्याय किया गया जिसका परिमार्जन करना मेरे विभाग का और मेरा कर्तव्य था । श्री उन्नीकृष्णन का इस प्रकार का इनसिनुएशन कि चौधरी साहब के कहने से मैंने यह कार्यवाही की, सर्वथा असत्य है । इस विषय से चौधरी साहब ने मुझ से कभी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की बल्कि सत्य तो यह है कि एक सुयोग्य सर्जन के प्रति जो अन्याय हुआ था मैंने अपने विभाग के सभी अधिकारियों की राय एवं स्वयं भी उसका निराकरण किया । श्रीमन्, श्री उन्नीकृष्णन के भाषण को पढ़ने से यह बात साफ हो जाती है कि उन्होंने तथ्यों का पूरा पता लगाये बिना केवल अफवाहों के आधार पर मेरे विरुद्ध एवं चौधरी साहब के विरुद्ध अनर्गल, असत्य आक्षेप एवं निराधार आरोप लगाये ।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara) : *rose*——

MR. SPEAKER : I am not allowing any debate.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : I must be allowed to make a statement.

MR. SPEAKER : No, nothing of the sort.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : He has referred to me.

MR. SPEAKER : I am not allowing Shri Unnikrishnan or anybody to speak now and nothing will go on record.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN ....*

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) : On a point of order.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : On a point of order.

MR. SPEAKER : The point of order will go on record.

SHRI K. P. UNNIRKRISHNAN : Under rule 357 a member may with the permission of the Speaker make a personal explanation alth ugh there is no question before the House but no debatable matter may be brought forward and no debate would arise. My contention is that according to the rules he has to submit an advance copy; I have a grievance also that if that is not translated, I cannot follow what he said about me or about other members of the House. What he said is basically debatable matter

MR. SPEAKER . No .

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN That is my contention Secondly, in between apart from what is contained in his written statement that he had submitted to you in advance, he has been speaking *ex tempore* in between which has gone into the record.

MR SPEAKER : Whatever such intervention is there, I will expunge it. I have only allowed him a written statement and I had a copy of the statement. In my judgement there was no debatable matter. Therefore, it is not open to question. If he had said anything more than the written statement, it was not permitted and therefore it will go out of the records.

SHRI RAJ NARAIN : According to the rules of the House, a Minister can add to his statement.

MR. SPEAKER : Which rule ? . . (*Interruptions*)

श्री राजनारायण : श्रीमन, यहां पर हम लोग जवाब देते हैं, जवाब में अगर किसी चीज की कमी रहती है तो स्टाफ के लोग यहां बैठे रहते हैं जो फौरन लिखकर भेज देते हैं कि इसके मुताबिक जवाब पढ़ दिया जाये और उसके मुताबिक हम पढ़ देते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप

*Not recorded.

देखें तो उससे ज्यादा हमारे पास फाइल मे लिखा हुआ है । स्टेटमेंट मे जो लिखा वह आपके कमरे मे दिखा दिया और उसके अतिरिक्त हमने कोई चीज नही पढ़ी है ।

इतना जरूर बताया कि "सन् 1972" इसमे लिखा हुआ है और यह बात फिर उठाई गई सन् 1976 मे, चार वर्ष बाद —यह भी इसमे लिखा हुआ है । 1976 का पीरियड एमर्जेन्सी का पीरियड था, उस पीरियड मे किस तरह से हम लोगो के रिश्तेदारो को जो सरकार की सर्विस मे थे, पीनलाइज किया गया है .. बात करते हो ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) **बोल रहे हैं ।

He has used an unparliamentary word He was behaving like this in Rajya Sabha also. He used the words—

He is a responsible Minister and he is wrong. We are not going to tolerate this ***

MR SPEAKER Plaese do not record anything

(*Intrerruptions*)%

MR. SPEAKER I shall go through the record.. If there are any unparliamentary words from either side, I am going to expunge them There is no doubt about it. I am also not allowing anything except the original statement I have cleared the original statement There is nothing debatable in it Excepting that, I will not allow anything Everything else will go out of the record No further discussion is allowed

(*Interruptions*)%

MR SPEAKER . Please do not record anything.

(*Interruptions*)%

MR SPEAKER : I am not allowing any further submissions to be made There is no question of any point of order In the guise of point of order, everybody wants to speak on both sides—I am not referring to one side only—more especially the senior members I am not allowing any point of order

The Home Minister will now make a statement

SHRI VASANT SATHE (Akola) Is there any supplementary list of business ? I do not find anything about the Home Minister making a statement in the list of business

MR SPEAKER The Home Minister wrote to me this morning that he wants to make a statement about (1) Introduction of Police Commissioner system in Delhi and (2) Publication of a photostat copy of a MISA warrant dated 26th June 1975 issued by the then Deputy Commissioner of Delhi I have allowed him to make the statements

---

13 16 hrs.

STATEMENT RE INTRODUCTION OF POLICE COMMISSIONER SYSTEM IN DELHI

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) Sir, The Police in Delhi have been governed by the provisions of the Indian Police Act of 1861, which provides for the general superintendence and control of the District Magistrate over the working of the police The question of introducing the Police Commissioner system in Delhi has been under consideration of Government for the last 20 years ever since the Estimates Committee made a recommendation to this effect Subsequently, the Delhi Police Commission also known as the Khosla Commission in its report submitted in 1968 also recommended the introduction of this system in Delhi

2 The advantages and disadvantages of a change-over to the Police Commissioner system had been considered in depth from time to time It is no doubt true that not only the quality of the personnel but also the system under which they functioned, would be decisive in determining efficiency and performance The earlier thinking, therefore, was that the balance of advantage would be in favour of a change-over During the Emergency, however, a decision was taken

**Expunged as ordered by the Chair.
%Not recorded.